।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः—प्रशिक्षण सैल / 2018 / 5215-68 दिनांकः 15/3/18

परिपत्र

राज्य की समस्त केन्द्रीय / जिला / उप कारागृहो की बैरिको में रहने वाले प्रहरी / मुख्य प्रहरी को मकान किराया भत्ता दिये जाने के संबंध में मकान किराया भत्ता नियम 1989 के नियम 3 में उन परिस्थितियो का उल्लेख किया गया है, जब मकान किराया भत्ता देय नही है।

"यदि कोई कर्मचारी सरकारी स्वामित्व या सरकार द्वारा लीज पर लिये गये आवास या देवस्थान विभाग / राजकीय विभाग / नगर विकास न्यास / नगर पालिका / अन्य स्वायत शासी संस्थाओं से संबंधित आवास में रहता है"

इसके अतिरिक्त यदि स्वयं के मकान / किराये के मकान में रहता है तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर मकान किराया भत्ता देय होगा।

क्षतिपूर्ती (नगर) भत्ता नियम 1920 के नियम 3 के नीचे टिप्पणी संख्या (III) में यह स्पष्ट भी किया गया है कि लाईन के बैरिक में रहने वाले जेल कर्मचारियो को निःशुल्क आवास की सुविधा को प्राप्त करने वाला नहीं समझा जावे। अर्थात यह माना जावेगा की लाईन की बैरिक सुविधा निःशुल्क आवास नही है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि बैरिको में रहने वाले कर्मचारी को केवल त्वरित ड्यूटी के लिए उनमें रहना अनिवार्य किया गया है। बैरिको में रहने पर यह नही माना जा सकता है कि इनका निःशुल्क आवास उपलब्ध है।

अतः बैरिक में रहने वाले सभी जेल कर्मियों को नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय है।

(भूपेन्द्र सिंह)
अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार
महानिदेशालय कारागार,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक / उपधीक्षक केन्द्रीय / जिला कारागृह राजस्थान।
4. अधीक्षक उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर।
5. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
6. उपाधीक्षक महिला बन्दी सुधार गृह जयपुर / जोधपुर।
7. स्थापना शाखा / बिल शाखा, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

अति.महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार
महानिदेशालय कारागार,
राजस्थान, जयपुर